

## पूरी बेंच

समक्ष मुख्य न्यायाधीश आर.एस. नरूला, न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया

ब्रिज मोहन लाल.,-अपीलकर्ता.

बनाम

बखशी राम आदि,-प्रतिवादी।

एस.ए.ओ. 1969 की संख्या 17

18 अक्टूबर 1974..

प्रांतीय दिवाला अधिनियम (1920 का 5)-धारा 28(2)-सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम 5)-धारा 60(1) (सीसीसी)-देनदार-दिवालिया का मुख्य आवासीय घर-स्वतंत्र और उसका अच्छी तरह से सीमांकित भाग देनदार द्वारा व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है-क्या संहिता की धारा 60(1) (सीसीसी) के तहत कुर्की योग्य नहीं है और परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 28 (2) के तहत निहित होने से छूट दी गई है - ऐसा घर लेनदारों में से एक के आरोप के अधीन है - चाहे दिवाला न्यायालय में निहित हो।

अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी ऋणी-दिवालिया के मुख्य आवासीय घर का एक स्वतंत्र और अच्छी तरह से सीमांकित भाग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाता है और उस पर कब्जा कर लिया जाता है, तब भी इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 (1) (सीसीसी) के प्रावधानों के संदर्भ में कुर्की और बिक्री से छूट दी गई है और इसके परिणामस्वरूप प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 28 (2) के तहत निहित होने से छूट दी गई है।

अभिनिर्धारित किया गया कि संपत्ति शब्द की सामान्य परिभाषा का प्रयोग अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) में व्यवहृत संपत्ति के संबंध में बहिष्कृत है, जिसके परिणामस्वरूप इस उपबंध में परिकल्पित संपत्ति मूर्त संपत्ति को संदर्भित करती है न कि उसमें दिवालिया के अधिकार की सीमा को। यदि कोई संपत्ति धारा 23 की उपधारा (5) के दायरे में आती है तो उसे धारा 28 की उपधारा (2) के तहत दिवाला न्यायालय में निहित करने के लिए छूट दी गई है, चाहे उसमें दिवालिया के अधिकार की सीमा या प्रकृति कुछ भी हो। अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह पता लगाने के लिए कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के किसी उपबंध के आधार पर किसी डिक्री के निष्पादन में संपत्ति को कुर्की या विक्रय से छूट प्राप्त है, सही दृष्टिकोण को संहिता की धारा 60 की उपधारा (1) के परन्तुक के संपूर्ण उपबंध पर दृष्टिपात करने के लिए होना चाहिए और 'बशर्ते कि इस खंड द्वारा प्रदत्त संरक्षण का विस्तार किसी संपत्ति विशेष रूप से ऋण से प्रभारित संपत्ति तक नहीं होगा', और इस उपबंध के शेष भाग को विचार से बाहर छोड़ देना चाहिए, 'जो वास्तव में धारा 60 के खंड (सी. सी. सी.) के उपबंधों पर परन्तुक के प्रभाव की सही समझ की कुंजी रखता है।(1)। जब अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) के उपबंधों को इस प्रकार देखा जाता है, तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि किसी देनदार का मुख्य आवासीय घर, भले ही लेनदारों में से किसी एक के अधीन हो, अधिनियम की धारा 28 (2) के अधीन दिवाला न्यायालय में निहित नहीं है।

(Paras .9 & 10)

माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. संधवालिया द्वारा 29 मार्च, 1971 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंड पीठ को भेजा गया मामला। फिर इस मामले को फिर से माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. संधवालिया और माननीय न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया की खंडपीठ द्वारा वृहद न्यायालय को भेजा गया। 16 मई, 1972 को पीठ और माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री आर. एस. नरूला, माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एस. संधवालिया और माननीय न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया की पूर्ण पीठ ने अंततः 18 अक्टूबर, 1974 को मामले का निपटारा किया।

श्री जोगिंदर सिंह मंदर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला, दिनांक 25 अक्टूबर, 1968 के आदेश से दूसरी अपील, जिसमें श्री परशोतम लाल सांघी, दिवाला न्यायाधीश, अंबाला दिनांक 30 नवंबर, 1967 के आदेश को उलट दिया गया था, जिसमें दिवाला के आवेदन को खारिज कर दिया गया था और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया गया था।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता एस. के. गोयल।

जे. एस. चावला, एस. के. जैन, और एम. एस. लिब्रहान, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए। आदेश

न्यायमूर्ति तेवतिया, -ये दो अपीलें (S.A.O 's. नं. 1969 का 17 और 18) दिवालिया बृज मोहन लाई के आग्रह पर एक सामान्य व्यवस्था से उत्पन्न होता है और इसमें कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल होते हैं और इसलिए, हम दोनों को एक सामान्य व्यवस्था द्वारा तय करने का प्रस्ताव करते हैं।

(2) संबद्ध विधि के प्रश्न का महत्व और उसके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी प्राधिकरण से वंचित होने की एक और परिस्थिति के कारण, इन दोनों अपीलों की सुनवाई एक खंड पीठ द्वारा एक संदर्भ पर आवश्यक हो गई, जिसने बदले में, इन कारणों से इन अपीलों को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए संदर्भित किया, और इस तरह ये हमारे सामने हैं।

(3) संदर्भ पीठ द्वारा तैयार किए गए विधि के दो प्रस्ताव, जिनके समाधान पर इन दो अपीलों के भाग्य का निर्धारण निर्भर करता है-(1) क्या किसी आवासीय भवन के स्वतंत्र और अच्छी तरह से सीमांकित हिस्से का उपयोग और व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए एक देनदार द्वारा कब्जा कर लिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 (1) (सीसीसी) के प्रावधानों के संदर्भ में कुर्की और बिक्री से छूट दी जाएगी और परिणामस्वरूप प्रांतीय दिवाला अधिनियम (1920 का 5) की धारा 28 (2) के तहत निहित होने से छूट दी जाएगी-जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है;

(2) इस बारे में कि क्या ऋण के प्रभार के अधीन किसी दिवालिया का मुख्य आवासीय घर अधिनियम की धारा 28 (2) को दिवालिया न्यायालय में निहित करेगा या नहीं।

केवल वे तथ्य जो उपरोक्त प्रश्नों के लिए प्रासंगिक हैं और जो विवाद में नहीं हैं, उन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है: अपीलार्थी बृज मोहन लाई को दिवालिया घोषित किया गया। उन्होंने अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (2) के तहत अपने मुख्य आवासीय घर को उक्त न्यायालय या उसके द्वारा नियुक्त रिसीवर में निहित करने से छूट के लिए दिवाला न्यायालय में आवेदन किया।

दिवाला अदालत और निचली अदालत, जिसका आदेश इन अपीलों में चुनौती के अधीन है, ने एक तथ्य के रूप में पाया कि विचाराधीन इमारत, जिसमें भूतल पर चार कमरे, पहली मंजिल पर चार कमरे और दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, दिवालिया का मुख्य आवासीय घर था, जिसमें से भूतल का उपयोग विशेष रूप से उसके द्वारा अपना

व्यवसाय करने के लिए किया गया था और यह कि उक्त इमारत पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, अंबाला शहर के साथ बंधक के तहत थी।

(4) पहला प्रश्न राम-लाल और अन्य बनाम एम/एस में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रभुओं के निर्णय द्वारा आधिकारिक रूप से हल किया जाता है। प्यारा लाई गोबिंदराम और अन्य (1). के पर्ण अवलोकन। इस संबंध में उत्तराधिकारियों को लाभ के साथ देखा जा सकता है:

"इस मामले में निर्णय के लिए सवाल यह है कि क्या आवासीय घर के एक हिस्से पर कब्जा है। निर्णयकर्ता-ऋणी स्वयं एक दुकान के प्रयोजनों के लिए वह हिस्सा आवासीय घर का हिस्सा नहीं रह जाता है। यह हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है। इस देश की परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों में इस निष्कर्ष को उचित ठहराना मुश्किल होगा कि जहां आवासीय घर का एक हिस्सा उस घर के मालिक के व्यवसाय या पेशे के संबंध में उपयोग किया जाता है, वह हिस्सा आवासीय घर का हिस्सा है। जैसा कि सर्वविदित है, अक्सर एक वकील के घर में उसका कार्यालय का कमरा हो सकता है, एक डॉक्टर के घर में एक परामर्श कक्ष हो सकता है, वकील का पुस्तकालय, उसके घर के कमरों में से एक पर कब्जा कर सकता है। जिस कमरे में वकील काम करता है या उसका पुस्तकालय स्थित है, उसे उसके आवासीय घर का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। पंजाब उच्च न्यायालय ने कम से कम वर्ष 1951 से यही दृष्टिकोण अपनाया है। आगा जफर अली खान बनाम राधा किशन में, (2) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि-"जहां पूरी इमारत का उपयोग निवास के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, केवल यह तथ्य कि भूतल पर एक दुकान है, इमारत को आवासीय घर से अलग किसी चीज़ में परिवर्तित नहीं करेगा।"

पूर्ण पीठ के फैसले में उल्लेख किया गया है कि उस मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि इमारत का दुकान का हिस्सा निर्णय-देनदार के कब्जे में था या उसके द्वारा किराए पर दिया गया था। फैसले को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि उस मामले में इमारत के दुकान के हिस्से के मालिक के अलावा किसी के कब्जे में होने का कोई सवाल ही नहीं था। फर्म गंगा राम बनाम फर्म जय राम (3) जहाँ तीन मंजिल वाली इमारत के भूतल का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। और, आवासीय प्रयोजनों के लिए पहली और दूसरी मंजिलों पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्णय-देनदार धारा 60 (1) खंड (सी. सी. सी.) के उपबंधों के अधीन पूरे घर के संबंध में कुर्की या बिक्री से उन्मुक्ति का दावा कर सकते हैं, जहां यह उनका एकमात्र आवासीय घर है और उनके द्वारा कब्जा किया गया है। चर्चा के एक हिस्से का उल्लेख करना शिक्षाप्रद है: 'हमारे देश में परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो एक ही भवन के समग्र उपयोगकर्ता को स्वीकार करती हैं। एक ही घर का एक हिस्सा रहने के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरा हिस्सा वाणिज्यिक या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होता है और कभी-कभी बाद वाला हिस्सा भी, विशेष रूप से व्यावसायिक घंटों के बाद, रहने के लिए उपयोग किया जाता है।

..... इस देश में लोगों के जीवन शैली, उनकी आदतों और रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए, आम तौर पर किसी विशेष भवन को एक के रूप में नामित करना संभव नहीं है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के विपरीत विशेष रूप से आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाता है।

.....  
इसी तरह, जहां उसके घर में, एक लोहार अपने जाली पर काम करता है, एक जूता बनाने वाला अपने आखिरी पर जूते बनाता है, एक कुम्हार अपना पहिया घुमाता है, या कोई अन्य कारीगर अपने औजार फैलाता है, एक जीविकोपार्जन करने के लिए या एक छोटा व्यापारी अपने माल को बिक्री के लिए रखता है, व्याख्या के अनुसार,

जिसे प्रतिवादी के विद्वान वकील ने मुझे संहिता में आने वाले शब्दों को पहनने के लिए कहा है, प्रावधान किसी भी प्रभावी सुरक्षा को बढ़ाने में शक्तिहीन होंगे। इस निर्माण के परिणामस्वरूप कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ...

हम विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पंजाब मर्केटाइल बैंक लिमिटेड (परिसमापन में) जुल्लुंडुर सिटी बनाम जनरल टाइपराइटर कंपनी, जुल्लुंडुर सिटी (4) टेक चंद, न्यायमूर्ति, जिन्होंने उपरोक्त निर्णय दिया था, ने कहा कि जहां निर्णय-देनदार घर के बड़े हिस्से में रह रहा था, पहली मंजिल पर किराएदारों को दिए गए दो चाबरे कुर्की और बिक्री से मुक्त नहीं थे। उसी के लिए; इस मामले में डिवीजन बेंच द्वारा भरोसा की गई पूर्ण बेंच का निर्णय प्रभावी है। न्यायमूर्ति टेक चंद ने अपने दिमाग में उस मामले के बीच का अंतर स्पष्ट रखा है जहां आवासीय घर का एक हिस्सा किराए पर दिया जाता है और एक हिस्से का उपयोग मालिक द्वारा स्वयं किया जाता है, हालांकि आवासीय के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इस तरह के उपयोग से आवासीय घर एक आवासीय घर या उस हिस्से के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है जो आवासीय घर का हिस्सा नहीं है

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दिवालिया लोगों का मुख्य आवासीय घर था और इस पर उनका कब्जा था। मामले के तथ्य इसे पूरी तरह से धारा के दायरे में लाते हैं और इसलिए पूरी इमारत को कुर्की से छूट दी गई है।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, जबकि अपीलार्थी द्वारा लिया गया सरल और सीधा रुख यह है कि अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) के उपबंधों के आधार पर विचाराधीन आवासीय गृह अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजन के लिए उसकी संपत्ति का भाग नहीं था और इस प्रकार वह अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन दिवाला न्यायालय में निहित होने के लिए दायी नहीं था। उत्तरदाताओं की ओर से, उनके विद्वान वकील, श्री एस. के. जैन ने दो तरह का तर्क दिया है- '(1) कि न्यायनिर्णयन की तारीख को दिवालिया के पास जो कुछ था वह केवल मोचन की इक्विटी थी, न कि आवासीय घर। मोचन की इक्विटी ऐसी संपत्ति नहीं है जो अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) के संदर्भ में कुर्की या बिक्री से छूट प्राप्त है, वही धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन दिवाला न्यायालय में निहित है; और (2) कि अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) में प्रकट होने वाली 'डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री से छूट' अभिव्यक्ति आंशिक या योग्य छूट के विरोधाभास में पूर्ण छूट को संदर्भित करती है। कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (सीसीसी) के परंतुक के आधार पर कुर्की से मुख्य आवासीय घर को छूट और. sale हटा दिया गया था, हालांकि क्या केवल उस पर एक प्रभार रखने वाले सुरक्षित लेनदार, इसलिए प्रश्न में घर इस प्रकार एक डिक्री के निष्पादन में कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी है, वही अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के दायरे से बाहर हो गया और इस प्रकार उक्त धारा की उपधारा (2) के तहत दिवालिया अदालत में निहित करने के लिए उत्तरदायी हो गया।

पक्षकारों की ओर से दिए गए प्रतिद्वंद्वी के विवादास्पद प्रस्ताव पर विचार करने से पहले, अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों पर यहां ध्यान दिया जा सकता है।

(5). अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में 'संपत्ति' को परिभाषित किया गया है- 'संपत्ति' में कोई भी संपत्ति शामिल है जिस पर या जिसके लाभों का निपटान करने की शक्ति किसी व्यक्ति के पास है जिसका उपयोग वह अपने लाभ के लिए कर सकता है।

अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (2) में कहा गया है: "(2) न्यायनिर्णयन का आदेश देने पर, दिवालिया की पूरी संपत्ति न्यायालय में या एक रिसीवर में निहित होगी जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, और बन जाएगी। लेनदारों के बीच विभाज्य, और उसके बाद, इस अधिनियम द्वारा उपबंधित के अलावा, कोई भी लेनदार जिसे दिवालिया इस अधिनियम के तहत किसी भी ऋण के संबंध में ऋणी है, दिवालिया कार्यवाही के लंबित होने के दौरान ऋण के संबंध में दिवालिया की संपत्ति के खिलाफ कोई उपाय नहीं होगा, या कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा, सिवाय न्यायालय की अनुमति के और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय लागू करे।

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) इस प्रकार है: "(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए दिवालिया की संपत्ति में ऐसी कोई संपत्ति शामिल नहीं होगी जो सिविल संहिता द्वारा छूट प्राप्त हो। प्रक्रिया, 1908, या किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के दायित्व से कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य अधिनियम।

1940 के पंजाब अधिनियम 12 और 1942 के 6 द्वारा (19 अप्रैल, 1935 से प्रभावी) यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 का सुसंगत उपबंध इस प्रकार है:-(60) (डी \* \* \* \* \* \$एस. एफ. सी. (सी. सी. सी.) एक मुख्य आवासीय मकान और उससे संलग्न अन्य भवन (सामग्री और उसके स्थलों के साथ और उस भूमि के साथ जो उससे तुरंत संबंधित है और उनके उपभोग के लिए आवश्यक है) जो एक कृषक के अलावा किसी निर्णय-देनदार से संबंधित है और उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है:" बशर्ते कि इस खंड द्वारा प्रदत्त संरक्षण का विस्तार उस ऋण के साथ विशेष रूप से प्रभारित किसी संपत्ति तक नहीं होगा जिसकी वसूली की जानी चाहिए। [शब्दों के लिए प्रतिस्थापित 'बशर्ते कि इस उप-धारा में प्रदत्त संरक्षण का विस्तार उस संपत्ति तक नहीं होगा जिसे 1942 के पंजाब अधिनियम VI, धारा 5 (ii) द्वारा गिरवी रखा गया है]।

\*\*\*\*\* जे \*\*\*\*\* | \* yr

जहां तक प्रत्यर्थियों के लिए विद्वत वकील के प्रथम विवाद का संबंध है, यह अवलोकन किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) में व्यवहृत संपत्ति के संबंध में 'संपत्ति' शब्द की सामान्य परिभाषा का प्रयोग बहिष्कृत था, जिसके परिणामस्वरूप इस उपबंध में परिकल्पित संपत्ति मूर्त संपत्ति को संदर्भित करती है न कि उसमें दिवालिया के अधिकार की सीमा को और इसलिए, यदि कोई संपत्ति धारा 28 की उपधारा (5) के दायरे में आती है तो उसे धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन दिवालिया न्यायालय में निहित होने से छूट दी गई है, चाहे उसमें दिवालिया के अधिकार की सीमा या प्रकृति जो भी हो।

(6) अब विद्वत वकील के दूसरे विवाद पर आते हुए, समस्या यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत संपत्ति को डिक्री के निष्पादन में कुर्की या बिक्री से छूट दी गई है या नहीं, यह एक शब्द उत्तर द्वारा नकारात्मक या 'सकारात्मक' में समाधान को स्वीकार नहीं करता है जैसा कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा मांगा गया है। और इसलिए यह विनिश्चय करने के लिए कि क्या संपत्ति को अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) के उपबंधों के आधार पर उसकी उपधारा (2) के अधीन दिवाला न्यायालय में निहित होने से छूट प्राप्त है या नहीं, हमें सिविल प्रक्रिया संहिता के छूट प्रदान करने वाले उपबंधों और उसके थोड़े से इतिहास का उल्लेख करना होगा।

(7) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (सी. सी. सी.) के परन्तुक के उपबंध, जैसा कि वह 1942 के पंजाब अधिनियम VI द्वारा इसके संशोधन से पूर्व था-धारा 5 (ii)-निम्नानुसार थे: "(सी. सी. सी.) एक मुख्य आवासीय गृह और उससे संलग्न अन्य भवन (सामग्री और उसके स्थलों के साथ और उस भूमि के साथ जो तुरंत उससे संबंधित है और उनके उपभोग के लिए आवश्यक है) जो एक कृषक से भिन्न और उसके द्वारा कब्जा

किए गए निर्णय देनदार से संबंधित हैं: बशर्ते कि इस उप-धारा द्वारा प्रदत्त संरक्षण का विस्तार उस संपत्ति तक नहीं होगा जिसे गिरवी रखा गया है।

उक्त परन्तुक के इस अपरिवर्तित उपबंध की न्यायालयों द्वारा व्याख्या इस प्रकार की गई थी कि यदि संपत्ति (इस मामले में मुख्य आवासीय घर) बंधक प्रभार का विषय है, तो संहिता की धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (सीसीसी) द्वारा किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्की या बिक्री के विरुद्ध उसे दिया गया संरक्षण पूरी तरह से हटा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक असुरक्षित लेनदार भी निर्णय-देनदार के विरुद्ध अपनी डिक्री के निष्पादन में उसी को कुर्क या बेच सकता था। यह तथ्य कि न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या विधान के निर्माताओं के सही इरादे के अनुरूप नहीं थी, उक्त परन्तुक में संशोधन का कारण बना जो अब है। अस्तित्व में है जो स्पष्ट रूप से यह उपबंध करता है कि छूट प्राप्त संपत्ति केवल परन्तुक के आधार पर और ऐसे लेनदार की डिक्री के निष्पादन में, जिसका ऋण उस पर विशेष रूप से प्रभारित किया गया था, डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी है।

(8) संशोधनकारी विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों का निम्नलिखित कथन विधानमंडल के वास्तविक इरादे के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता है, यहां तक कि उक्त परन्तुक के असंबद्ध प्रावधानों के वांछित सत्य, दायरे के संबंध में भी:

"पंजाब ऋण राहत (संशोधन) अधिनियम, 1940 के पारित होने के बाद से, उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह एक दीवानी अदालत के लिए ऋण सुलह बोर्ड के निष्कर्ष की वैधता पर सवाल उठाने के लिए खुला है कि क्या कोई विशेष ऋण ऋण है या नहीं। दीवानी अदालतों ने आगे कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक संपत्ति जिसे गिरवी रखा गया है, चाहे वह किसी कृषक या गैर-कृषि निर्णय-देनदार की हो, कानून के तहत डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री से मुक्त नहीं है जैसा कि वर्तमान में पंजाब ऋण राहत अधिनियम में निर्धारित है। दीवानी अदालतों की व्याख्या के अनुसार एक संपत्ति जो गिरवी रखी गई है, किसी भी ऋण की वसूली के लिए कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वह ऋण विशेष रूप से बंधक द्वारा सुरक्षित है या नहीं और क्या वह संपत्ति एक कृषक या गैर-कृषक के स्वामित्व में है। वर्तमान विधेयक को सिविल न्यायालयों में निर्णयों की वर्तमान प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई शंकाओं को दूर करने और कुछ दोषों को दूर करने के लिए पेश किया जा रहा है जो तब से ध्यान में आए हैं।" the reasons और ऑब्जेक्ट्स का उपरोक्त कथन उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को पूरी तरह से गलत के रूप में उजागर करता है कि 1942 के संशोधन अधिनियम VI द्वारा परन्तुक का संशोधन संपत्ति की प्रतिरक्षा पर परन्तुक के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने के बजाय कुर्की और बिक्री के बजाय उसी में विस्तारित किया गया था, जबकि संशोधन से पहले संपत्ति के इस तरह के अनुल्लंघनीय चरित्र के साथ केवल तभी छेड़छाड़ की गई थी जब वह बंधक के तहत था, जबकि अब उक्त संशोधन के बाद डिक्री के निष्पादन में कुर्की या बिक्री से छूट न केवल तब हटा दी गई थी जब ऐसी छूट वाली संपत्ति पर बंधक ऋण का प्रभार था, बल्कि तब भी जब ऐसा शुल्क बंधक ऋण के अलावा अन्य भी हुआ था।

(9) अतः अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह पता लगाने के लिए कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के किसी उपबंध के आधार पर किसी डिक्री के निष्पादन में किसी संपत्ति को कुर्की या विक्रय से छूट दी गई है, सही दृष्टिकोण संहिता की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (सीसीसी) के परन्तुक के संपूर्ण उपबंध पर हमारी दृष्टि का विस्तार करने के लिए होना चाहिए और इसे "-अभिव्यक्ति" तक सीमित नहीं करना

चाहिए, बशर्ते कि इस खंड द्वारा प्रदत्त संरक्षण का विस्तार इस खंड तक नहीं होगा। किसी भी संपत्ति को विशेष रूप से ऋण के साथ प्रभारित किया जाता है और प्रावधान के शेष भाग पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है i.e. 'जो वास्तव में धारा 60 के खंड (सी. सी. सी.) के उपबंधों पर परन्तुक के प्रभाव की सही समझ की कुंजी है'(1).

(10) जब अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) के प्रावधानों को इस प्रकार देखा जाता है, तो इस निष्कर्ष के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है कि विचाराधीन मुख्य आवासीय घर अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के तहत दिवाला न्यायालय में निहित होने से मुक्त है। इस निष्कर्ष की दृढ़ता को तब बल मिलता है जब न्यायमूर्ति सुलेमान द्वारा व्यक्त सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण के स्पर्श-पत्थर पर इसका परीक्षण किया जाता है। नेट सिंह और अन्य बनाम द रिसीवर ऑफ द एस्टेट ऑफ गजराज सिंह और अन्य में निम्नलिखित शब्दों में विशिष्ट सरलता के साथ (5).

"विधायिका की नीति स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होती है कि जिन संपत्तियों को कुर्क और बेचा नहीं जा सकता है, वे प्राप्तकर्ता में निहित नहीं हैं। इसमें कोई अन्याय नहीं है क्योंकि जब लेनदार संपत्तियों की बिक्री से अपने ऋण की वसूली नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें बहुत कम नुकसान होता है यदि उनके प्रतिनिधि, प्राप्तकर्ता, ऐसी संपत्तियों से ऋण का भुगतान नहीं कर सकते हैं

उपरोक्त कारणों के लिए, हम इन अपीलों (S.A.Os.) की अनुमति देते हैं। 1969 का 17 और 18) लेकिन इसमें शामिल कानून के जटिल प्रश्न को देखते हुए हम पक्षों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

चीफ। न्यायमूर्ति आर, एस. नरूला, -में सहमत हूँ।

न्यायमूर्ति एस. एस. संधवालिया-में सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा